

जेडीए ने कोरोना वायरस के लिए जारी की एडवाइजरी जेडीए में आगन्तुकों की आवाजाही बंद ऑनलाईन प्रक्रिया का उपयोग करने की दी सलाह मसाला चौक बंद एवं अमर जवान ज्योति पर साउण्ड शो स्थगित 50 प्रतिशत स्टॉफ को घर से कार्य करने के लिए निर्देश

District : dipr

Department :

VIP Person : General

Press Release

State News

Attached Document :

LK-20-3-2020-1.docx (<http://103.203.138.54/news/195326/document/LK-20-3-2020-1.docx>)

DESCRIPTION

**जेडीए ने कोरोना वायरस के लिए जारी की एडवाइजरी
जेडीए में आगन्तुकों की आवाजाही बंद
ऑनलाईन प्रक्रिया का उपयोग करने की दी सलाह
मसाला चौक बंद एवं अमर जवान ज्योति पर साउण्ड शो स्थगित
50 प्रतिशत स्टॉफ को घर से कार्य करने के लिए निर्देश**

जयपुर, 20 मार्च। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोरोना वायरस से लोगों की जीवन रक्षा एवं बचाव प्रयास के लिए जेडीए आने वाले आगन्तुकों की आवाजाही को बंद करते हुए उन्हें ऑनलाईन ही आवेदन प्रक्रिया का उपयोग करने की सलाह दी गई है। साथ ही जेडीए द्वारा अमर जवान ज्योति पर साउण्ड शो, मसाला चौक एवं जनता कम्प्लेक्स के दिन जेडीए पार्को को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जेडीए में कार्यरत 50 प्रतिशत स्टॉफ को भी घर से ही कार्य करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जेडीए द्वारा नागरिक सेवा केंद्र में आने वाले आगन्तुकों एवं आवेदकों की आवाजाही को बंद करते हुए उन्हें सलाह दी गई है कि वे पट्टे, नाम हस्तांतरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र आदि के लिए जेडीए वेबसाइट www-jda-urban-rajasthan-gov. पद एवं 90ए, भवन मानचित्र अनुमोदन आदि के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट sso-rajasthan-gov. पद पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

जेडीए द्वारा अमर जवान ज्योति पर किए जाने वाला लाईट एण्ड साउण्ड शो एवं वॉर म्यूजियम शो को आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। साथ ही आमजनता से अपील की है कि अमर जवान ज्योति पर इकट्ठा होने से बचें। जेडीए द्वारा रामनिवास बाग स्थित मसाला चौक को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। जेडीए द्वारा जनता कम्प्लेक्स के दिन जेडीए पार्को को भी बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।

जेडीए में जन सुनवाई को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के कार्मिकों एवं 50 प्रतिशत से अधिक स्टॉफ को घर से ही महत्वपूर्ण कार्य करने एवं जेडीए आने वाले कार्मिकों को चार फीट दूरी बनाते हुए ही कार्य संपादित करने के निर्देश दिए गए हैं।